



## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्या:- 60/प्रा0पत्र/2019

दायरा दिनांक :-31.05.2019

GCMS ID-2019/00071

### उनवान

1. मीना कुमारी पत्नी राजेश जाति मीणा निवासी बडानयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0।

### प्रार्थीया

### बनाम

1. ग्यारसीलाल आ0 रामकरण जाति मीणा निवासी ब्राह्मणों की झौपडिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. छोटूलाल आ0 मथरालाल जाति मीणा निवासी ब्राह्मणों की झौपडिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. जगदीश आ0 कालू जाति मीणा निवासी ब्राह्मणों की झौपडिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
4. मोती आ0 माधो जाति रेगर निवासी ब्राह्मणों की झौपडिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
5. रामकिशन आ0 केसरा जाति मीणा निवासी ब्राह्मणों की झौपडिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
6. सत्यनारायण आ0 मोतीलाल जाति ओड निवासी ब्राह्मणों की झौपडिया हाल नटावा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
7. किशन आ0 मोतीलाल जाति ओड निवासी ब्राह्मणों की झौपडिया हाल नटावा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
8. भोजराज आ0 मोतीलाल जाति ओड निवासी ब्राह्मणों की झौपडिया हाल नटावा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
9. पुष्पा पुत्री मोतीलाल जाति ओड निवासी ब्राह्मणों की झौपडिया हाल नटावा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
10. भूरी पुत्री मोतीलाल पत्नी माधो जाति ओड निवासी ब्राह्मणों की झौपडिया हाल नटावा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

### अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :- अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

वकील प्रार्थी :- श्री विजय माहेश्वरी

वकील अप्रार्थीगण :- अप्रार्थी संख्या 3 व 5 शम्भूदयाल शर्मा

अप्रार्थी संख्या :- 1, 2, 6 लगायत 10 एक पक्षीय कार्यवाही

अप्रार्थी संख्या 4 स्वयं



*Shu*  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डोली

## आदेश

दिनांक : 21.04.2025

प्रार्थीया का मुख्य रूप से कथन है कि ग्राम ब्राह्मणों की झूपडिया पटवार मण्डल गोकुलपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में खाता संख्या 145 की कृषि भूमि खसरा संख्या 543 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 568 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा विस्थित है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2072-75 में प्रार्थीया का उक्त भूमियों में 5/7 हिस्सा व औकारी पत्नी मोतीलाल का 2/7 हिस्सा निहित है। खातेदार औकारी व नर्बदा की मृत्यु हो चुकी है। खातेदार नर्बदा व औकारी के वारिसान अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 10 है। उक्त वर्णित भूमिया प्रार्थीया ने आज से करीब सवा दो वर्ष भूमियों के पूर्व खातेदारान से जर्ज रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद कर भूमियों का कब्जा प्राप्त किया था तभी से प्रार्थी का उक्त प्रार्थना वर्णित भूमियों में प्रार्थीया के हिस्से की भूमियों पर कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं वर्तमान में भी उक्त भूमि पर प्रार्थी का ही कब्जा काश्त है। प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 10 के स्वामित्व की उक्त भूमियों के समीप ही भूमि खसरा संख्या 544, 542 व खसरा संख्या 732/545 अप्रार्थी संख्या 3 के स्वामित्व की भूमि विस्थित है। व प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 10 के स्वामित्व की भूमि खसरा संख्या 568 के एक ओर भूमि खसरा संख्या 569 अप्रार्थी संख्या 4 व एक ओर भूमि खसरा संख्या 567 अप्रार्थी संख्या 1 व 5 की भूमिया है जिन अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 प्रार्थीया के पड़ोसी काश्तकार है। प्रार्थीया ग्राम बडानयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी का रहने वाली है, इस बात का फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 आये दिन प्रार्थीया के हिस्से स्वामित्व व अधिपत्य की भूमि की सीमा के संबंध में विवाद करते हैं और प्रार्थी की उक्त भूमियों पर हो रही सीमाबन्दी को हटा देते हैं एवं प्रार्थी द्वारा उक्त बात का उलाहना अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 को देने का हमेशा मौके पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मौके पर भूमि की सीमा के संबंध में कभी भी तनाव उत्पन्न हो सकता है, इस कारण प्रार्थी के हिस्से स्वामित्व व अधिपत्य की भूमि की पत्थरगढी किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। प्रार्थीया ने अभी मई 2019 में तहसीलदार हिण्डोली के समक्ष प्रार्थीया के हिस्से स्वामित्व व अधिपत्य की भूमि की पत्थरगढी किये जाने हेतु निवेदन किया तो तहसीलदार हिण्डोली ने प्रार्थी को न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करने की बात कही, इस कारण प्रार्थीया न्यायालय श्रीमान के समक्ष यह प्रार्थना पत्र पेश कर रहे हैं। न्यायालय श्रीमान के आदेशानुसार प्रार्थीया पत्थरगढी की खर्चा राशि वहन करने को तैयार है। अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 10 उक्त भूमियों के सह खातेदार होने के कारण पक्षकार बनाए गए हैं। प्रार्थीया अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 10 के खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहती है। न्यायालय श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क व तलबाने पर पेश है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में अंकित प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 9 के स्वामित्व व अधिपत्य की ग्राम ब्राह्मणों की झूपडिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित भूमि की पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी प्रस्तुत होने पर प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण के लिए नोटिस तलब की गई जिस पर अप्रार्थी नम्बर 4 ने पत्थरगढी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना आदेशिका में अंकित किया। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 6 से 10 बावजूद तामिलों के पक्ष में अवसर दिए जाने पर भी अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश दिए गए। अप्रार्थी संख्या 3 व 5 की ओर से जबाव पेश कर कथन किया कि विवर्धित भूमियाँ राजस्व रिकॉर्ड में केवल प्रार्थीया के नाम दर्ज है। भूमियों पर उसका कब्जा



नहीं है। पूर्व खातेदारों का भी विवादित भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है व वर्षों पूर्व गांव छोड़कर अन्य-जगह चले गये प्रार्थीया द्वारा बिना कब्जे की भूमि खरीदकर विक्रय पत्र का पंजीयन करवाया है। अप्रार्थीगण ने अपने खाते की भूमि के साथ कब्जे की भूमि पर पत्थर का कोट लगा रखा है व कुंआ खुदवाकर निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है। कब्जे के अभाव में पत्थरगढी नहीं की जा सकती है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार हिण्डोली से पत्थरगढी हेतु जॉच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार हिण्डोली द्वारा पत्रांक:-राजस्व/25/422 दिनांक:-17.02.2025 से जॉच रिपोर्ट पेश कर विवादित भूमि प्रार्थीया मीना कुमारी व अप्रार्थी औंकारी व नर्बदा पत्नी मोतीलाल के संयुक्त खाते में दर्ज होना, उक्त भूमि पर खातेदारान का मौके पर कब्जा काश्त नहीं होना, विवादित भूमि बाबत किसी अन्य न्यायालय में वाद दायर नहीं होना, स्थगन नहीं होना एवं विवादित भूमि का पूर्व में सीमाज्ञान नहीं होना अंकित किया गया है।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में प्रावधान निहित है कि किन्ही सीमाओं से सम्बन्धित किसी विवाद के मामले में लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर, जहाँ तक संभव हो वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर ऐसे विवाद निपटायेंगे और यह संभव न हो अथना ऐसे नक्शे उपलब्ध न हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर निपटायेंगे। भू-प्रबन्धन कार्य समाप्त होने पर ऐसे विवाद कलक्टर द्वारा निपटायें जाएंगे। राज्य सरकार ने अधि.सं. एफ. 4 (64) रे. बी. ग्रुप/62 दिनांक 12.06.1963 के द्वारा ये शक्तियाँ एस0डी0ओ0 को प्रत्यायोजित कर दी है।

अभिभाषक पक्षकारान् को सुना गया। वकील प्रार्थीया ने दौराने बहस कथन किया विवादित भूमि प्रार्थीया व सहखातेदार नर्बदा व औंकारी के खाते की भूमियाँ है।-सहखातेदार नर्बदा व औंकारी की मृत्यु हो जाने से अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 10 इसके वारिसान है। प्रार्थीया का उक्त भूमियों में 5/7 हिस्सा निहित है। उक्त भूमियों प्रार्थीया ने करीब सवा 2 वर्ष पूर्व जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद कर भूमियों पर कब्जा प्राप्त किया था तब से ही प्रार्थीया उसके हिस्से की भूमियों पर काबिज काश्त चली आ रही है। प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 10 की उक्त भूमियों के समीप ही खसरा संख्या 544, 542 व 732/545 की भूमियों पर अप्रार्थी 5 के कब्जा काश्त की भूमि है व प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 10 के स्वामित्व की भूमि 568 के एक ओर खसरा संख्या 569 अप्रार्थी संख्या 5 व भूमि खसरा संख्या 567 अप्रार्थी संख्या 1 व 5 की भूमियाँ है। जिनके द्वारा आये दिन प्रार्थीया की भूमियों पर सीमा संबंध में विवाद करते रहते है। जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बनी रहती है। अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 10 उक्त भूमियों के सहखातेदार होने से उनको पक्षकार बनाया गया है। उनके विरुद्ध हम कोई अनुतोष नहीं चाहते है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 10 की भूमियों की पत्थरगढी किए जाने के आदेश फरमाये जावे।

वकील प्रार्थीया के उक्त तथ्यों का खण्डन करते हुए वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 5 ने कथन किया कि इन्होंने पूर्व खातेदारों से कृषि भूमि क्रय की होगी परन्तु मौके पर इन्होंने कोई कब्जा नहीं लिया है। विवादित भूमियों में इनका व पूर्व खातेदारों का कब्जा काश्त नहीं होकर हमारा ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। पत्थरगढी में यदि खातेदार को उसकी भूमि की सीमा का ज्ञान नहीं हो तो सीमाज्ञान बाबत पत्थरगढी के आदेश दिए जाते है, यहाँ तो उनका कब्जा काश्त ही नहीं है। रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार भी विवादित भूमि पर प्रार्थीया का कब्जा काश्त नहीं है। धारा 111 एल0आर0एक्ट0 में केवल सीमा विवाद का निस्तारण किया जाता है। बिना कब्जा के प्रार्थीया पत्थरगढी नहीं करवा सकती है। वे कब्जा प्राप्त



करना चाहे तो बेदखली का दावा पेश करें। प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जावे।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 5 के उक्त तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र में केवल विवादित भूमि की सीमा को तय किया जा सकता है तथा कब्जा किसी व्यक्ति को कोई अधिकार सृजित नहीं करता है। हम केवल हमारी भूमियों की सीमाओं का खता करने हेतु पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, बहस पर मनन किया, वादग्रस्त आराजी मुताबिक नकल, जमाबंदी संवत् 2072-75 वाके ग्राम ब्राह्मणों की झौपडिया पटवार मण्डल गोकुलपुरा तहसील हिण्डोली की खतौनी संख्या 145 के अनुसार प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 10 की सहखातेदारी में दर्ज रिकार्ड है अर्थात् प्रार्थीया वादग्रस्त आराजी की रिकार्डेड सहखातेदार है। कोई भी रिकार्डेड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी होता है। पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र में किसी पक्षकार के हितों का निर्धारण नहीं किया जाना है। पत्थरगढी द्वारा केवल विवादित भूमि की सीमाओं को तय किया जाता है।

#### —: क्रियात्मक आदेश :-

अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, हिण्डोली को निर्देश है कि आराजी खाता संख्या 145 के खसरा संख्या 543, 568 कुल किता 2 कुल रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम ब्राह्मणों की झौपडिया पटवार मण्डल गोकुलपुरा तहसील हिण्डोली जो कि प्रार्थीया की सहखातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजीयात की प्रार्थीया से नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रार्थीया व आराजी के पडौसी खातेदारान को सूचित करते हुए उनकी मौजूदगी में विवादित भूमि बाबत किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने की स्थिति में व उक्त आराजी में फसल मौजूद नहीं होने की स्थिति में मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर एवं कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुए पत्थरगढी करवाये। पालनार्थ तहसीलदार, हिण्डोली को तहरीर जारी हो एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 21.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवराज मीणा)

आर0ए0एस

उपस्थान अधिकारी

हिण्डोली

